

1917123

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादीगण
 उपर। वकील वादी एवं वादीगण ने उपस्थित
 होकर एक प्रां पत्र बाबत वाद विद्वा
 किमि जाने पेश किया जो शामिल पत्रावली
 किया गया। वकील वादी एवं वादीगण ने
 उपस्थित होकर जारीत प्रां पत्र निवेदन किया
 कि उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाना
 चाहते हैं। इसलिए आपादत में उक्त प्रकरण
 पत्र को विद्वा किया जाना आवश्यक है।
 वादीगण की पृष्ठ-चान उनके अधिवक्ता
 श्री सचिन शर्मा ने की। वकील वादी द्वारा
 प्रस्तुत वाद विद्वा प्रां पत्र का अवलोकन
 करने पर पाया कि उक्त वाद तहसील
 जयपुर से बइलाजात रिपोर्ट किया गया
 है। प्रकरण में वकील वादी / वादीगण

श्री गणेश लाल यादव
 श्री सचिन शर्मा
 इ. व. व. व.
 (सचिन शर्मा)

Mansingh
 सचिव
 जयपुर

Acem Jaipur 1st
फर्द अहकाम

भैरु वनाम मधुसूदन

दावा 28/2018

नांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>द्वारा उल्लूखित आदेश का अपलोडिंग किया जिसमें वकील वादी एवं वादीगण उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वकील वादी वादीगण द्वारा उल्लूखित आदेश बाबत विद्वा किमें जाने उक्त वाद के न्यायदिवस में स्वीकार किया जाता है। वकील वादी वादीगण का वाद विद्वा आदेश स्वीकार किमें जाने से वादीगण का वाद आरिज किया जाता है। पगावली दर्ज रजि० ले कम होकर कुशलशुभा होकर दाखिल दफ्तर है। निर्णय आज दिनांक 19/07/2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	

Mansingh
न्यायिक कलक्टर
जयपुर नगर प्रथम